



॥ ओ३म् ॥  
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार - 249404

(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)  
GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR - 249404  
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक ES#II/JR/166°

दिनांक : 11/06/22

कार्यालय सूचना

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों की CAS प्रोन्नति की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के रेगुलेशन-2018 के अनुसार प्रारूप तैयार कर समविश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। प्रारूप भरने हेतु यू०जी०सी० के निम्न आदेशों का भी दृढ़ता से पालन करना है :-

1. यू०जी०सी० के पत्र संख्या F.No. 1-1/2018 (Journal/CARE) दिनांक 16.09.2019 में Care List के अनुसार यू०जी०सी० केयर लिस्ट के अनुसार ही Journals देखे जायेगे। जो Journals यू०जी०सी० केयर लिस्ट में होंगे उन्ही पर विचार किया जायेगा (संलग्नक-1)।
2. यू०जी०सी० के पत्र संख्या N.F.I-1/2020(SECY) दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के अनुसार सम्बन्धित Claim के लिए Plagiarism (साहित्य चौरी) प्रमाण पत्र संलग्न करें इसके अभाव में समविश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में स्वयं शोध पत्र/पुस्तकों के Plagiarism जांच करायेगा, तदुपरान्त ही Eligible अभ्यर्थियों की CAS प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा (संलग्नक-2)।

अतः जो शिक्षक CAS प्रोन्नति हेतु अर्हता माह जून-2022 तक पूरी करते हैं, वह समविश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर, उसे भरकर कुलसचिव कार्यालय में दिनांक 31.07.2022 तक जमा कर दे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. मा० कुलपति जी
2. निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०
3. समस्त कोर्डिनेटर/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
4. कुलसचिव कार्यालय
5. विश्वविद्यालय वेबसाईट

कुलसचिव